वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

शिक्षा विभाग हरियाणा

वर्ष 1974-75

प्रकाशक :

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय विवर्णिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	रिपोर्ट की समीक्षा	(i)—(vii)
1.	सामान्य सार	1—9
2.	शिक्षा विभाग का प्रसार एवं संगठन	10—13
3.	विद्यालय शिक्षा	14—20
4.	महाविद्यालय शिक्षा	21—24
5.	शिक्षक प्रशिक्षण	25—28
6.	सामाज शिक्षा	29—31
7.	महिला शिक्षा	32—35
8.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	36—40
9.	विविध	41—48
10.	परिशिष्ठ	क, ख तथा ग

शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 1974-75 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

हरियाणा शिक्षा विभाग, राज्य में तकनीकी शिक्षा को छोड़ कर जिसके लिए अलग से एक विभाग बना हुआ है, प्राथमिक, स्कूल स्तर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा के प्रबन्ध करने एंव विकास के लिए कार्यरत है। इस समय राज्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा उसके द्वारा रोहतक में चलाया जा रहा पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर रोहतक, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जबकि डिग्री एवं स्कूल स्तर तक की शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय कालिजों/स्कूलों के साथ-साथ अराजकीय कालिजों/स्कूलों भी योगदान है।

शिक्षा निदेशालय विभिन्न स्तर की शिक्षाओं के बारे में योजनाएं बनाने तथा उनसे सम्बन्धित प्रोग्रामज को कार्यान्वित करने एवं उनको उचित समन्वय करता है। शिक्षा विभाग की यह रिपोर्ट 1-4-74 से 31-3-75 तक की अवधि की है। इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में अर्याप्त प्रगति हुई है तथा गुणात्मक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। मुख्यतः इस विभाग की गतिविधियों को निम्नलिखित वर्गो में विभाजित किया जा सकता है :-

(क) शिक्षा योजनाओं को कार्यावन्वित करना।

(ख) प्राईवेट कालिजों और विद्यालयों को उपयुक्तता परखने के बाद अनुदान देना।

(ग) हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां एवं फीस को प्रतिपूर्ती।

(घ) सुपात्र विद्यार्थियों को ऋण एवं छात्रवृतियां देना।

(ङ) छात्रों को उचित मूल्यों पर अभ्यास पुस्यकें व पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध करना।

(क) शिक्षा योजनाओं को कार्यान्वित करना।

(1) बजट

वर्ष 1974-75 में शिक्षा विभाग का कुल बजट (फाईनल ग्रान्ट) 2893.62 लाख रुपए का था जिसमें योजना स्तर पर 230.45 लाख रुपए और योजनेत्तर स्तर पर 2663.17 लाख रुपए था।

(2) छात्र संख्या

भिन्न भिन्न स्तर पर शिक्षा पाने वाले छात्रो की संख्या वर्ष 1974-75 में लगभग 17.13 लाख रही। यह संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा से 0.33 लाख अधिक थी।

(3) भिन्न भिन्न आयु वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात

इस अवधि में स्कूल स्तर पर छात्र संख्या में विशेष वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 69.3 प्रतिशत हो गया है जबकि पिछले वर्ष यह अनुपात केवल 68.1 प्रतिशत था। माध्यमिक स्तर पर छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्र संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हो गई हैं, परन्तु फिर भी माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतर स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत अनुपात अपने आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष तथा 14 से 17 वर्ष के भारत के औसत प्रतिशत अनुमान से ऊंचा हो रहा है।

(4) स्कूलों का अपग्रेड करना

रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान दो प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर माध्यमिक तथा दो माध्यमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उच्च किया गया है।

(5) नए कालिज

इस वर्ष राज्य में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया

है। जबकि राज्य में 8 नए अराजकीय महाविद्यालय स्थापित हुए हैं। इन 8 नए महाविद्यालयों के स्थापित होने से राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 110 हो गई है।

(6) कालिजों में नए विषयों की कक्षाएं प्रारम्भ करना

इस अवधि में राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़ में संगीत (वोकल) और फरीदाबाद तथा भिवानी में वाणिज्य (कामर्स) तथा राजकीय महाविद्यालय रोहतक और गुड़गांव में फ्रैन्च विषयों में शिक्षा की सुविधायें भी उपलब्ध कराई गई हैं।

(7) कालिजों में छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त टीचिंग अमले की स्वीकृति

इस अवधि में उच्च शिक्षा की संस्थाओं में छात्र संख्या 0.94 लाख हो गई है। राजकीय महाविद्यालयों में छात्र संख्या में होने वाली वृद्धि तथा नए विषयों को चालू करने हेतु वरिष्ठ प्राध्यापकों के तीन पद, प्राध्यापकों के 23 और प्रोफैसरों के 2 पद और बनाए गए।

(8) शिक्षा के स्तर में सुधार के प्रयत्न

शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए वर्ष 1974-75 में राज्य में 6000 जे० बी० टी० अध्यापकों को 100 अलग अलग प्रशिक्षण केन्द्रों में तथा 2000 बी० ए० बी० एड० अध्यापकों को महाविद्यालयों में स्थापित केन्द्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रशिक्षण दिया गया।

इस वर्ष के दौरान राज्य के सभी राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को शालासंगम (टीचर्ज क्लब) बनाया गया है और प्राथमिक स्कूलों तथा माध्यमिक स्कूलों के प्राथमिक विभागों में पढ़ाने वाले 30 से 35 अध्यापक निकट के शालासंगम के साथ सम्बन्धित किए गए हैं। मास में एक दिन यह सभी अध्यापक अपने अपने सम्बन्धित शालासंगम में अध्यापन करने के सुधार के लिए विचार विमर्श करते हैं।

(9) विज्ञान शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना

यूनिसिफ स्कीम के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा के स्तर को और ऊंचा करने हेतु इस वर्ष में स्कूलों में विज्ञान किटें देने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 6.00 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी जिसके सम्मुख केवल 2.40 लाख रुपए खर्च हुए ।

(10) नई पाठ्य पुस्तकें

रिपोर्टाधीन अवधि में पहली से पांचवीं श्रेणी तक के लिए हिन्दी की पाठ्य पुस्तक और तीसरी से पांचवीं श्रणियों में साधारण विज्ञान और सामाजिक शिक्षा की नई संशोधित पुस्तकें चालू की गई ।

(11) अनोपचारिक रूप में शिक्षा देने की नई परियोजना

वर्ष 1974-75 में अनोपचारिक रूप में शिक्षा देने की नई परियोजना केवल 4 खंडों में प्रयोगात्मक आधार पर आरम्भ की गई है । इस स्कीम के अन्तर्गत ऐजेन्ट नियुक्त किए गए और उन सभी 11 से 14 वर्ष की लड़कियों और हरिजन लड़कों को पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा देंगे जो बच्चे या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या शिक्षा पूरी किए बगैर ही स्कूल छोड़ चुके हों ।

(12) ग्राम शिक्षा मुहिम

31 दिसम्बर, 1974 से ग्राम शिक्षा मुहिम का कार्यक्रम अम्बाला, करनाल और रोहतक में बन्द कर दिया गया क्योंकि इन जिलों में किसान साक्षरता का कार्यक्रम भी पहले चल रहा था । इसके स्थान पर ग्राम शिक्षा मुहिम कार्यक्रम पहली जनवरी, 1975 से भिवानी, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में आरम्भ कर दिया गया है ।

(13) बिमारी तथा गन्दगी के विरुद्ध नवयुवक अभियान

रिर्पोटाधीन वर्ष में महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व तथा

सर्वांगीण विकास के लिए एन0 एस0 एस0 स्कीम के अन्तर्गत बिमारी तथा गन्दगी के विरुद्ध नवयुवक अभियान में हरियाणा राज्य में 89 शिविर (कैम्पस) लगाए गए जिसमें 3142 छात्रों ने भाग लिया और बड़ा उपयोगी काम किया गया।

(14) अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष

अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष के लिए वर्ष 1974-75 में 3.69 लाख रुपए की राशि एकत्रित की गई और 71331/– रुपए सहायता के रूप में विपदाग्रस्त अध्यापकों में बांटे गए।

(15) 1-7-74 से राज्य के सभी 110 कालेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैंटर रोहतक का प्रशासनिक नियन्त्रण भी, जोकि पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधीन हो गया है।

(ख) प्राईवेट कालिजों और विद्यालयों की उपयुक्तता परखने के बाद अनुदान देना

अराजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों में शिक्षा विकास कार्यक्रमों को चालू रखने हेतु रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित अनुदान दिए गए :–

1.	अराजकीय विद्यालयों	58.33 लाख रुपए
2.	अराजकीय महाविद्यालय	21.00 लाख रुपए
3.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	114.64 लाख रुपए
4.	पंजाब विश्वविद्यालय	14.93 लाख रुपए

(ग) हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां एवं फीस की प्रतिपूर्ति

राज्य सरकार की ओर से राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत

स्कूल स्तर पर हरिजन और अन्य पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों को और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर भारत सरकार की ओर से इन वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ती की जाती है जिस पर राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमश: 39.62 लाख रुपए और 37.04 लाख रुपया खर्च किए गए।

(घ) सुपात्र विद्यार्थियों को ऋण तथा छात्रवृत्तियां देना

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 734 छात्रों को नई तथा नवीकरण की गई छात्रवृतियां देने हेतु 5.87 लाख रुपए वितरित किए गए।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अधीन 658 छात्रों को 15.39 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां दी गई ।

हरियाणवी योग्य छात्रों को राज्य की मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है । वर्ष 1974-75 में लगभग 4.16 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई और 482 छात्रों को इन छात्रवृत्तियों से लाभ हुआ ।

माध्यमिक कक्षाओं तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सुयोग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए वर्ष 1974-75 में क्रमश: 2.56 लाख रुपए और 2.65 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारवीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को 10/- रुपए प्रतिमास की दर से 20 नई छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं । इसके लिए वर्ष 1974-75 में 6000/- रुपए की व्यवस्था की गई थी ।

तेलगु भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ष 1974-75 में 10/- रुपए प्रतिमास की दर से 153 छात्रवृत्तियां सातवीं कक्षा में तथा 153

छात्रवृत्तियां आठवीं कक्षा के लिए उपलब्ध हैं और इसके लिए 0.30 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ङ) छात्रों को उचित मूल्य पर अभ्यास पुस्तिकाएं एवं पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना

वर्ष 1974-75 में कागज की बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रख कर भारत सरकार द्वारा प्रचलित योजना के अनुसार विद्यार्थियों को सस्ती दर पर अभ्यास पुस्तिकाएं और पाठ्य पुस्तकों को कन्ट्रोल रेट पर वितरण करने का कार्य भी शुरु किया गया जिसके अन्तर्गत 2495 टन कागज विभिन्न विभिन्न प्रयोगों के लिए वितरण किया गया।

प्रशासनिक अधिकारी

वर्ष 1974-75 में श्री माड़ू सिंह मलिक, शिक्षा मन्त्री के पद पर और श्रीमती प्रसन्नी देवी राज्य मन्त्री शिक्षा के पद पर आरूढ़ रहे।

शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद का कार्यभार मेरे इलावा कुमारी मीरा सेठ तथा श्री कुलवन्त सिंह, आई० ए० एस० अधिकारियों के पास थोड़े-थोड़े समय के लिए रहा। कार्य में उनकी सहायता उप-सचिव शिक्षा तथा अवर सचिव शिक्षा के पदों पर भी आई० ए० एस० तथा एच० सी० एस० अधिकारियों ने की।

श्री जी० वी० गुप्ता, आई० ए० एस० 19-1-75 तक निदेशक शिक्षा के पद पर रहे और 20-1-75 से श्री ए० सी० अग्रवाल, आई० ए० एस० ने इस पद का कार्यभार संभाला।

बी. एस. ओझा
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग

दिनांक चन्डीगढ़
15 जनवरी, 1976

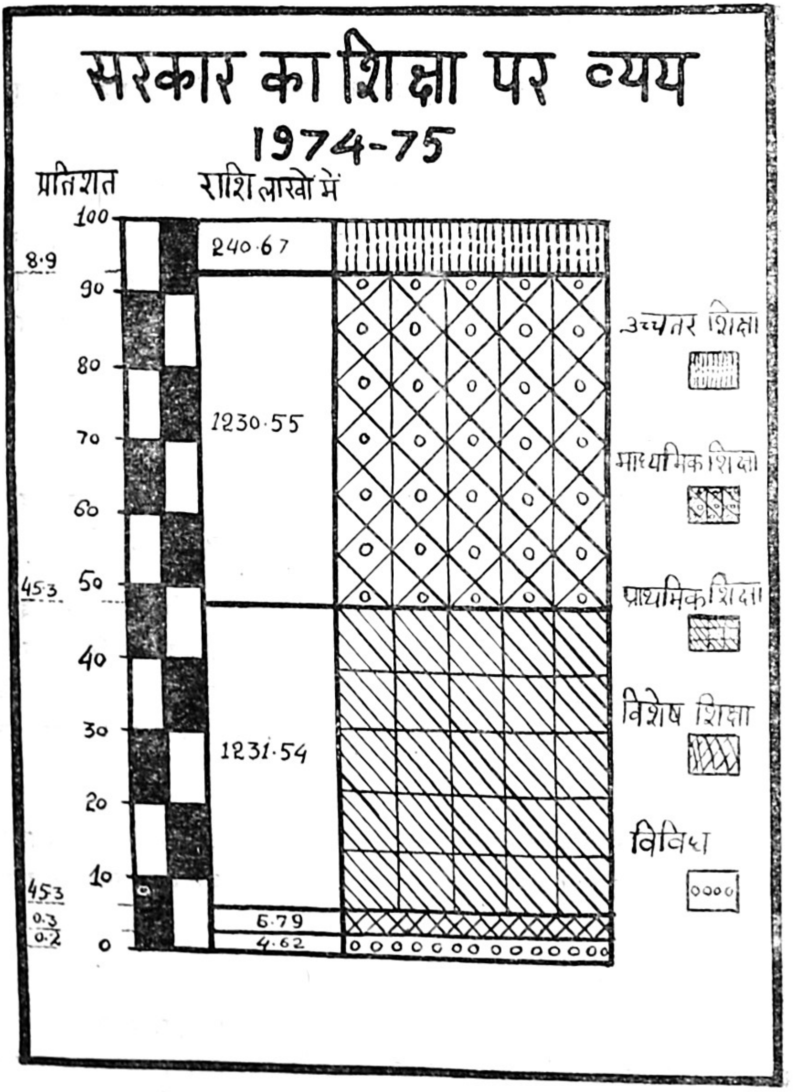
सरकार का शिक्षा पर व्यय
1974-75
प्रतिशत
राशि लाखों में
100
8.9
90
80
70
60
45.3
50
40
30
20
10
45.3
0.3
0.2
0
240.67
1230.55
1231.54
6.79
4.62
उच्चतर शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा
प्राथमिक शिक्षा
विशेष शिक्षा
विविध

अध्याय प्रथम

सामान्य सार

1.1 प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट शिक्षा विभाग के वर्ष 1974-75 की शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित है और हरियाणा राज्य स्थापित होने के बाद यह नौवीं रिपोर्ट है।

1.2 पहली अगस्त, 1974 को हरियाणा में स्थित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या तथा उन में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :–

संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या (लाखों में)		
		लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक पाठशालायें	5129	4.41	1.97	6.38
माध्यमिक पाठशालायें	776	1.85	0.73	2.58
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें	1101	5.35	1.88	7.23
जे० बी० टी० संस्थाएं	9	0.73	0.21	0.94
महाविद्यालय	110			
विश्वविद्यालय	1			
पोस्ट-ग्रेजुएट रिजनल केन्द्र	1			
	योग :	12.34	4.79	17.13

स्तर अनुसार छात्र संख्या

1.3 अगस्त, 1974 में स्तर अनुसार छात्र संख्या इस प्रकार थी

शिक्षा स्तर	छात्र संख्या (लाखों में)		
	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक स्तर	7.39	3.32	10.71
माध्यमिक स्तर	2.83	0.87	3.70
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	140	0.39	1.79
जे० बी० टी० कक्षाये महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर	0.72	0.21	0.93
योग :	12.34	4.79	17.13

प्राथमिक स्कूलों में 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है परन्तु फिर भी हरियाणा राज्य इस आयु वर्ग की छात्र संख्या में समस्त भारत के औस्त अनुपात के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। इस का कारण यह है कि हरियाणा के लोग अभी भी रूढ़िवादी विचारों के हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए तथा अधिक से अधिक संख्या में लड़कियों और हरिजन बच्चों को स्कूलों में प्रविष्ट कराने के लिए राज्य सरकार ने कई सुविधाएं उपलब्ध की हैं। वर्ष 1974-75 में 2.20 लाख रुपए की पाठ्य पुस्तकें इन बच्चों में मुफ्त दी गई।

शिक्षकों की संख्या :-

1.4 रिपोर्टाधीन अवधि में (1-8-74 स्थिति अनुसार) हरियणा राज्य में प्रबन्ध अनुसार कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या इस प्रकार रही

(क) स्कूल स्तर पर :—	पुरुष	महिलायें	कुल
अराजकीय विद्यालयों में	2228	1690	3918
राजकीय विद्यालयों में	31001	12352	43353
योग :	33229	14042	47271

(ख) उच्च शिक्षा स्तर :-	पुरुष	महिलायें	कुल
अराजकीय संस्थायें	1699	424	2123
राजकीय संस्थायें	629	204	833
विश्वविद्यालय तथा अन्य	200	11	211
योग :	2528	639	3167

शिक्षा पर हुआ व्यय

1.5 शिक्षा विभाग का वर्ष 1974-75 का कुल बजट व खर्चा (संशोधित अनुमान)

(क) प्रत्यक्ष व्यय (राशि लाखों में)

मद	योजनेतर	योजना	कुल
1. उच्चतर शिक्षा (कालेज शिक्षा)	208.67	32.00	240.67
2. माध्यमिक शिक्षा	1185.22	45.33	1230.55
3. प्राथमिक शिक्षा	1100.39	131.15	1231.54
4. विशेष शिक्षा (स्पेशल)	3.65	3.14	6.79
5. विविध	3.45	1.17	4.62
योग :	2501.38	212.79	2714.17

परोक्ष व्यय

6. छात्रवृति/वजीफे इत्यादि और हरिजन विद्यार्थियों को अनुदान	82.29	13.42	95.71
7. निदेशन	24.26	0.49	24.75
8. इन्सपैक्शन	55.24	3.75	58.99
जोड़ परोक्ष व्यय :-	161.79	17.66	179.45
कुल जोड़ :-	2663.17	230.45	2893.62

महाविद्यालया शिक्षा

1.6 रिर्पोटाधीन अवधि में राज्य में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया परन्तु 8 अराजकीय महाविद्यालय स्थापित हुये हैं। जून, 1974 से कुरुक्षेत्र विश्व-विद्यालय के साथ राज्य के सभी महाविद्यालय सम्बन्धित कर दिये गये हैं। इस वर्ष कुरुक्षेत्र विश्व-विद्यालय को लगभग 1.50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

जिला स्तर पर प्रशासन

1.7 जिलों में स्थित सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का प्रशासनिक तथा शैक्षणिक नियन्त्रण जिला शिक्षा अधिकारियों के पास रहा है।

छात्रों के लिये छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता :-

1.8 इस अवधि में भिन्न भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कई प्रकार की वित्तीत सहायता तथा छात्र-वृतियां भी द गई।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में 5.87 लाख रुपये की राशि 734 छात्रों की नई तथा नवीकरण की गई छात्रवृतियों हेतु वितरण की गई।

प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों के लिये राष्ट्रीय तथा राजकीय छात्रवृति देना

1.9 भारत सरकार हरियाणा राज्य के अध्यापकों के बच्चों को भिन्न भिन्न परीक्षाओं के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 8 नई छात्रवृतियां देती है। राज्य सरकार भी वर्ष 1971-72 से 10 अतिरिक्त छात्रवृतियाँ दे रही है। वर्ष 1974-75 में भारत सरकार की ओर से कुल 30 छात्रवृतियों के लिये 2,5195 रुपये की व्यवस्था और राज्य सरकार की ओर से 25 छात्रवृतियों के लिये 15,950/– रुपए की व्यवस्था की गई थी।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों के लिये छात्रवृतियाँ

1.10 इस योजना के अधीन वर्ष 1974-75 में सैनिक स्कूलों में पढ़ने 658 छात्रों की 15.39 लाख रुपये की छात्रवृतियां दी गई।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति योजना :–

1.11 ऋण छात्रवृति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले गरीब माता पिता के योग्य बच्चों को ऋण के आधार पर छात्रवृति देती है। यह छात्रवृतियां केवल उन छात्रों को दी जाती हैं जिनको और कोई छात्रवृति/आर्थिक सहायता न मिलती हो। वर्ष 1974-75 में लगभग 3.87 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई और इस से 564 छात्रों ने लाभ उठाया।

महाविद्यालयों में राज्य योग्यता छात्रवृति योजना

1.12 हरियाणवी योग्य छात्रों को राज्य की मैट्रिक उपरांत संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृतियां दी जाती हैं । वर्ष 1974-75 में लगभग 4.16 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई और 482 छात्रों को इन छात्रवृतियों से लाभ हुआ ।

स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये योग्यता छात्रवृतियां :–

1.13 राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 10/– रु० मासिक और उच्च।उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 15/– रु० मासिक दर से प्रति वर्ष छात्रवृतियों के लिये क्रमशः 2.56 लाख रुपये और 2.65 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्र के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर भारत तथा राज्य सरकार की ओर से दो दो छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड में दी जाती है । छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए इस छात्रवृति की दर 1,000/– रुपए वार्षिक और दैनिक छात्रों के लिए 500/– रु० वार्षिक है ।

वर्ष 1974-75 में जिन छात्रों ने चुने हुये स्कूलों के अतिरिक्त दूसरे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को निम्नलिखित दर से छात्रवृतियां दी गई :–

1. स्कूल जहां फीसें ली जाती हैं	250/ रु० वार्षिक
2. स्कूल जहां फीसें नहीं ली जाती	150/- रु० वार्षिक

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में 2.0 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई ।

संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृतियां

1.14 नौवीं, दसवीं तथा ग्यारवीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों

को 10/– रु० प्रति मास की दर से 20 नई छात्रवृतियां प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं। इन छात्रवृतियों को दसवीं और ग्यारवीं में नवीकरण किया जाता है। इसके लिए 6, 000 रु० की व्यवस्था की गई थी।

तैलगू भाषा पढ़ने वालों को छात्रवृतियां

1.15 हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। वर्ष 1974–75 में 10 रु० प्रति मास की दर से 153 छात्रवृतियां सातवीं कक्षा में तथा 153 छात्रवृतियां आठवीं कक्षा के लिये उपलब्ध हैं और 0.30 लाख रुपये की राशी की व्यवस्था की गई।

भाषाई अल्प संख्यकों को विशेष सुविधा

1.16 भाषाई अल्प संख्यकों को विद्यालयों में अपनी भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा दे रखी है, यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हैं।

हरियाणा राज्य के मृतक कर्मचारियों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना

1.17 हरियाणा सरकार अपने राज्य के मृतक कर्मचारियों, जिन की मृत्यु सेवा काल में 1-1-1970 के पश्चात् हुई हो, के बच्चों को बी० ए०/बी० एस० सी० स्तर तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। यह सुविधा केवल टयूशन फीस तथा लेबोरेटरी फीस में ही दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत राजकीय स्कूलों/कालिजों में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों से तो फीसे ली ही नहीं जाती, और जो ऐसे छात्र प्राईवेट स्कूलों/कालिजों में पढ़ते हैं, वे जो फीसे देते हैं उन को शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। यह सुविधा उन सब ऐसे छात्रों को भी उपलब्ध है जो केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र चण्डीगढ़ व पंजाब के स्कूलों/कालिजों में पढ़ते हैं। वर्ष 1974-75 में हरियाणा सरकार द्वारा इस कार्य के लिये 10,000/– रु० की धन राशि स्वीकृत की गई है।

प्रान्तीयकृत केडर के अध्यापकों को सिलैक्शन ग्रेड का प्रदान किया जाना.

1.18 हरियाणा सरकार ने प्रान्तीयकृत केडर के ऐसे सभी मास्टरज़/मिस्ट्रेसिज जे० बी० टी० और सी० एण्ड वी० (पुरुष और महिला अध्यापक) जिन की सेवा अवधि 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनको 1-10-74 से सिलैक्शन ग्रेड दे दिए हैं। यह लाभ भविष्य में भी बाकी के ऐसे अध्यापकों को उपलब्ध होगा जब भी उन की सेवा अवधि 18 वर्ष पूर्ण हो जायेगी।

स्कूलों का स्तर बढ़ाना

1.19 वर्ष 1974-75 में निम्नलिखित स्कूलों का स्तर बढ़ा कर प्राईमरी से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च बनाया गया

(क) प्राईमरी से माध्यमिक

1. श्री रतिराम राजकीय माध्यमिक पाठशाला, माधोगढ़ (भिवानी)
2. राजकीय माध्यमिक पाठशाला, कलेसर (अम्वाला)

(ख) माध्यमिक से उच्च

1. स्वामी अजारानन्द राजकीय हाई स्कूल, नलवा (भिवानी)
2. राजकीय हाई स्कूल, मकड़ौली कलां (रोहतक)

(ग) इन के अतिरिक्त राजकीय प्राईमरी स्कूल, बोहर (रोहतक) का स्तर हाई तक बनाया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में कागज का वितरण

1.20 शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सस्ती दर पर अभ्यास पुस्तकें तथा पाठ्य पुस्तकों के लिये वर्ष 1974-75 में शिक्षा विभाग ने कन्ट्रोल्ड रेट पर कागज वितरण करने का कार्य शुरु किया है। भारत

सरकार से निम्नलिखित उद्देश्य के लिये कागज प्राप्त हुआ था :–

1. स्कूल/कालिजों/विश्वविद्यलयों को पाठ्य पुंस्तकों के छपवाने हेतु	—	1364 टन
2. हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड तथा अन्य परीक्षा लेने वाली संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली पब्लिक परीक्षाओं के लिये	—	72 टन
3. स्कूलों तथा कालिजों के लिये अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों के छपवाने के लिये प्राईवेट प्रकाशकों के लिये	—	30 टन
4. स्कूल/कालिजों के विद्यार्थियों के लिये प्रयोग करने हेतु अभ्यास पुस्तकों की उपलब्धि के लिये		1020 टन
5. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, हरियाणा के लिये		9 टन

इस कागज को आगे वितरण करने हेतु राज्य सरकार ने शिक्षा आयुक्त हरियाणा की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल कागज वितरण समिति हरियाणा की स्थापना की है जिसका संयोजन सहायक निदेशक पुस्तक (शिक्षा विभाग) करते हैं ।

अब अभ्यास पुस्तकें बच्चों को सस्ते दाम पर दी जाती हैं ।

अध्याय दूसरा

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

2.1 वर्ष 1974–75 में श्री माड़ू सिंह मलिक, शिक्षा मंत्री के पद पर और श्रीमति प्रसन्नी देवी, राज्य शिक्षा मंत्री के पद पर आरूढ़ रहे ।

(क) सचिवालय स्तर

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद का कार्यभार कुमारी मीरा सेठ तथा श्री कुलवंत सिंह और श्री बी०एस० ओझा आई०ऐ०एस० अधिकारियों के पास थोड़े थोड़े समय के लिये रहा । कार्य में उनकी सहायता उप सचिव (शिक्षा) तथा अवर सचिव (शिक्षा) के पदों पर भी आई०ऐ०एस० और एच०सी०एस० अधिकारियों ने की ।

(ख) निदेशालय स्तर

रिपोर्टाधीन अवधि में श्री जी०वी० गुप्ता, आई0ऐ0एस0 19–1–75 तक निदेशक शिक्षा के पद पर रहे और 20-1-75 से श्री ऐ०सी० अग्रवाल, आई०ऐ०एस० ने निदेशक शिक्षा विभाग का कार्यभार सम्भाला । निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित अन्य पदों पर लगे अधिकारियों ने निदेशालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये सहयोग दिया :–

अधिकारी		संख्या
1. संयुक्त निदेशक, शिक्षा एच०इ० एस०	(1)	1
2. उप निदेशक शिक्षा, एच०ई०एस०	(1)	3
3. प्रशासन अधिकारी		1

अधिकारी	संख्या
4. सहायक निदेशक, एच०ई०एस०	8
5. लेखा अधिकारी	2
6. रजिस्ट्रार	1
7. बजट अधिकारी	1
8. सहायक पुरातत्व अधिकारी	2
9. सहायक रजिस्ट्रार शिक्षा	1

जिला प्रशासन

2.2 राज्य में कुल 10 जिले हैं और प्रत्येक जिला में शिक्षा के प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिलों में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यन्वित करने के लिये उत्तरदायी है।

उप मण्डलों में स्थित और सभी स्कूल स्तर शिक्षा संस्थाओं का नियन्त्रण तथा प्रशासन उप-मण्डल शिक्षा अधिकारियों के पास है जो कि जिला शिक्षा अधिकारियों के मार्ग-दर्शन में कार्य करते हैं। जिला भिवानी में स्थित लोहारू में एक अतिरिक्त अठाईसवां उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी का कार्यालय खोला गया है।

क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिये वर्ष 1974-75 में निम्नलिखित अतिरिक्त स्टाफ दिया गया है –

1. सहायक–20, दो पद प्रति जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के लिये।
2. लिपिक–54, दो पद प्रति उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के लिये।
3. लिपिक–117, एक पद प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के लिये।

विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के विकास तथा निरीक्षण के लिए अभी 7 जिलों में एक-एक सहायक ज़िला शिक्षा अधिकारी (शारिरीक) नियुक्त है। वह जिला में शारीरिक शिक्षा और भिन्न भिन्न खेलों आदि के विकास के लिये कार्य करते हैं।

शेष तीन (नये) ज़िलों के लिये भी इन पदों को स्वीकृत करवाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी रूचियों के अनुसार भविष्य में व्यवसाय आदि के चुनाव में मार्ग-दर्शन देने के लिये ज़िला स्तर पर एक एक सहायक मार्ग-दर्शन परामर्शदाता भी नियुक्त किया हुआ है जो कि विद्यालयों में जा कर विद्यार्थियों को मार्ग-दर्शन देने में सहायता देता है।

31-3-75 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा ज़िला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का व्यौरा परिशिष्ट 'क' तया 'ख' में दिया गया है। श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पदों की सूची परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

खण्ड स्तर

2.3 राज्य में स्थित 5129 प्राथमिक विद्यालयों को निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिये 117 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिये उत्तरदायी हैं।

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिये 117 खण्ड शिक्षा अधिकारियों के पदों का स्तर 220-400 रुपये के वेतन मान से बढ़ा कर मुख्याध्यापक के पद के 300-600 रुपये के वेतनमान के समान कर दिया गया है जिसका निर्णय सरकार ने ले लिया है।

राजकीय विद्यालय

2.4 राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापक

तथा प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालयों के सुचारु प्रशासन प्रबन्ध तथा शिक्षण के कार्य के लिये सम्बन्धित उप-मण्डल तथा ज़िला शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी है।

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उन की अपनी स्थानीय प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है । इन सभी विद्यालयों में भी शिक्षा विभाग की निति के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है । यह विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं तथा शिक्षा विभाग इन विद्यालयों को चलाने के लिये हर वर्ष वित्तीय सहायता अनुदान के रुप में भी देता है । इन सभी विद्यालयों में अध्यापन कार्य का निरीक्षण ज़िला/उप-मण्डल शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

2.5 राजकीय महाबिद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रत्यक्ष रुप में सुचारु प्रशासन के लिये उत्तरदायि है । अराजकीय महाविद्यालय का प्रशासन उन की अपनी प्रबन्धक समितियां ही चलाती हैं । राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय अपने सम्बन्धित विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति को अपनाते हैं ।

कुरुक्षेत्र में स्थित इस समय राज्य में केवल एक ही विश्वविद्यालय है। राज्य के सभी 110 महाबिद्यालय इस से सम्बन्धित हैं।

अध्याय तीसरा

विद्यालय शिक्षा

3.1 राष्ट्र का विकास और इस की समृद्धि शिक्षा के विकास पर निर्भर है। देश में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति लाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में पिछले कुछ वर्षों से विद्यालय शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

शिक्षा सुविधाओं का विकास

3.2 चौथी पंच वर्षीय योजना में शिक्षा की सुविधाओं के विकास में न केवल निर्धारित लक्ष्यों की ही पूर्ति की गई अपितु हर स्तर पर शिक्षा की सुविधाओं में विशेष विस्तार हुआ। रिपोर्टाधीन वर्ष में सरकार ने दो प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर मिडल तथा तीन मिडल स्कूलों के स्तर बढ़ा कर उच्च किया है।

1-8-74 को हरियाणा में अराजकीय तथा राजकीय विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित थी :–

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
पूर्व-प्राथमिक विद्यालय	6	1	7
प्राथमिक विद्यालय	5061	68	5129
माध्यमिक विद्यालय	745	31	776
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	903	198	1101

छात्र संख्या

3.3 प्रत्येक वर्ष की भांति रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षा के हर स्तर पर छात्र संख्या में विशेष वृद्धि हुई। वर्ष 1974-75 में प्राईमरी स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में 0.33 लाख की वृद्धि हुई है। जिसके फलस्वरुप इस स्तर पर पढ़ने वाले 6-11 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत अनुपात पिछले वर्ष के 68.1 प्रतिशत से बढ़कर 69.3 प्रतिशत हो गया है परन्तु फिर भी हरियाणा समस्त भारत के औसत प्रतिशत अनुपात से अभी पीछे है। जब कि मिडल और उच्च/उच्चतर स्तर पर पढ़ने वाले 11-14 तथा 14-17 वर्ष के आयुवर्ग में बच्चों का अनुपात रिपोर्टाधीन अवधि में 44.8 और 24.5 प्रतिशत क्रमशः है जो कि समस्त भारत के औसत अनुपात से काफी अधिक है।

रिपोर्टाधीन वर्ष 1974-75 में भिन्न भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है :–

स्तर	(संख्या लाखों में)		
	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक स्तर	7.39	3.32	10.71
माध्यमिक स्तर	2.83	0.87	3.70
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	1.40	0.39	1.79

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

3.4 वर्ष 1974-75 में राज्य में केवल 7 पूर्व-प्राथमिक संस्थाओं में शिक्षा दी जाती रही है। इन के अतिरिक्त शहरों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कक्षायें कुछ उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सलंग्न हैं।

अध्यापक

3.5 केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम "हाफ ऐ मिलियन जाब्स" कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष नियुक्त किए गए 2800 जे०बी०टी० तथा बी०एड० अध्यापकों के पद वर्ष 1974-75 के लिए सृजन किए गए ।

अगस्त 1974 में हरियाणा में शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तर पर शिक्षकों की संख्या निम्नलिखित थी :—

संस्था	अध्यापकों की संख्या		
	पुरूष	महिलायें	कुल
प्राथमिक स्तर	17740	9098	26838
माध्यमिक स्तर	8512	2921	11433
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	6977	2023	9000
कुल	33229	14042	47271

कुल 47271 अध्यापकों में से 43353 राजकीय विद्यालयों और 3918 अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

अध्यापक छात्र अनुपात

3.6 प्राथमिक कक्षाओं में नये पदों के सृजन के लिए अध्यापक छात्र अनुपात 1.45 का आधार रखा गया है ।

रिपोर्टाधीन अवधि में भिन्न भिन्न स्तर के स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा :–

प्राथमिक विद्यालय	1:38
माध्यमिक विद्यालय	1:33
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1:32

आदर्श स्कूल

3.7 हरियाणा राज्य में इस समय वैयक्तिक क्षेत्र में तीन आदर्श विद्यालय चल रहे हैं :—

1. एम० एस० जैन माडल स्कूल, अम्बाला शहर
2. सिनियर माडल स्कुल, फतेहाबाद (हिसार)
3. सिनियर माडल स्कूल, कुरुक्षेत्र

इन विद्यालयों में अन्य विद्यालयों की अपेक्षा फीसों की दर अधिक है। ऐसी संस्थाओं को फीसों इत्यादि की आय से ही सुगमता से चलाया जा सकता हैं। इसलिए ऐसे विद्यालयों को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता।

दोहरी पारी प्रणाली

3.8 विद्यालय भवनों की कमी के कारण कई विद्यालयों में ज़िला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से दोहरी पारी चलती रहीं हैं।

सहशिक्षा की नीति

3.9 राज्य के कुछ प्राथमिक स्कूलों को छोड़ कर लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की अनुमति दी हुई है।

ऐसे स्थानों पर जहां लड़कियो के लिए अलग माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं हैं वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की हुई है।

पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

3.10 इस वर्ष 1-4-74 से पहली से पांचवी कक्षाओं की ग्यारह पुस्तकें स्कूलों में नई लगाई गई हैं। इन पुस्तकों में से पांच हिन्दी की, तीन सामाजिक शिक्षा तथा तीन साधारण विज्ञान की हैं।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

3.11 अराजकीय विद्यालयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा वर्ष 1974-75 में इन विद्यालों को 16.37 लाख का अनुरक्षण अनुदान तथा 41.96 लाख रूपये कुठारी कमीशन अनुदान के अन्तर्गत दिये गये ।

भाषा नीति और भाषाई अल्प सांख्यक

3.12 हरियाणा एक भाषी राज्य है और इस की भाषा हिन्दी है । यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम हैं ।

विद्यालयों में छटी कक्षा में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रुप में पढ़ाई जाती है । विद्यालयों में राष्ट्र एंव भावात्मक एकता लाने के लिए तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारत की भाषा तेलगू की शिक्षा सातवीं और आठवीं कक्षाओं में उपलब्ध की गई है । सातवीं और आठवीं श्रेणीयों में पंजाबी, उर्दू और संस्कृत तथा तेलगू में विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रुप में कर सकता है ।

हरियाणा में भाषाई अल्प संख्याकों के हित के लिए उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने का भी हरियाणा सरकार ने विशेष अधिकार दे रखा है । यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हो तो यह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार उनको उस विषय में शिक्षा लेने के लिए सुविधा प्रदान करती है । उन अराजकीय विद्यालयों को जिन में हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था इन 19 विद्यालयों को पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए सरकार ने विशेष अनुमति दी हुई है।

तेलगू भाषा की शिक्षा

3.13 तेलगू भाषा राज्य में सातवीं कक्षा से तीसरी भाषा के रुप में पढ़ाई जाती है। इस समय राज्य में कुल 52 विद्यालयों में तेलगू भाषा पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध है। अब तक कुल 55 अध्यापकों को तेलगू भाषा पढ़ाने का प्रशिक्षण मैसूर भाषा संस्थान द्वारा दिलवाया गया है। तेलगू भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियों की राशि भत्ते के रुप में दी जाती है। सातवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तीन तीन छात्रवृतियाँ 10/-रुपये प्रति मास की दर से दो वर्ष के लिए दी जाती है।

व्यवसायिक मार्ग-दर्शन

3.14 माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा बच्चों को ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां उन्होंने अपने भविष्य के लिए निर्णय लेना होता है। इस स्तर पर बच्चों को व्यवसायिक मार्गदर्शन देने की अति आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों को व्यवसायिक मार्गदर्शन देने के लिए ज़िला शिक्षा अधिकारियों के साथ एक-एक सहायक परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है। इस के अतिरिक्त इस कार्य के लिए कैरियर मास्टर भी लगाये जाते हैं जिन्हें राजकीय शिक्षा संस्थान गुड़गांव में प्रशिक्षण दिया जाता है।

संस्कृत भाषा का विकास

3.15 संस्कृत भाषा का स्थान हरियाणा में तीसरी भाषा के रुप में है। स्कूलों में संस्कृत भाषा की शिक्षा सातवीं कक्षा से दी जाती है। इस भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई निम्नलिखित योजनाओं को भी हरियाणा में कार्यन्वित किया गया है :-

1. स्कूलों में संस्कृत के चार अध्यापक संस्कृत भाषा की शिक्षा के लिए विशेष रुप से लगाये हुये हैं।

2. संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है।

हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड

3.16 हरियाणा शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणियों के लिए पाठ्यक्रम नियत करता हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों को अनुमोदन किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को निश्चित कीमत पर पुस्तकें प्राप्त हो सकें। विद्यार्थियों की उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा भी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है।

अराजकीय विद्यालयों की स्थाई मान्यता

3.17 वर्ष 1974-75 में 16 अराजकीय विद्यालयों को स्थाई मान्यता दी गई जिन का विवरण निम्न प्रकार से है :-

संस्था	लड़कों के	लड़कियों के
हाई स्कूल	7	5
हायर सैकण्डरी स्कूल	4	–
जोड़	11	5

अध्याय चौथा

महाविद्यालय शिक्षा

महाविद्यालयों की संख्या

4.1 वर्ष 1974–75 में निम्नलिखित नये महाविद्यालय स्थापित हुए :–

1. जनता महाविद्यालय, बावल
2. डी० ए० वी० महाविद्यालय, नन्योला
3. आर० एल० एस० डी० महाविद्यालय, शाहजादपुर
4. डी० ए० वी० महाविद्यालय, करनाल
5. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी
6. राव लाल सिंह शिक्षा महाविद्यालय, सिधरौली
7. एस० डी० कन्या शिक्षा महाविद्यालय, नरवाना
8. राव मोहर सिंह शिक्षा महाविद्यालय, जाटौली

इस वर्ष 8 नये महाविद्यालय खुलने के कारण महाविद्यालयों की कुल संख्या 110 हो गई है जिनमें 16 शिक्षा महाविद्यालय और 94 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय हैं।

राज्य में प्रबन्ध अनुसार महाविद्यालयों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :—

राज्य सरकार द्वारा	प्राईवेट बाडिज द्वारा	विश्वविद्यालय द्वारा	कुल
14	93	3	110

राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय

4.2 वर्ष 1974–75 में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में कुछ नये विषय के अध्यापन की सुविधा भी उपलब्ध की गई।

	विषय	महाविद्यालय
1.	संगीत (वोकल)	राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़
2.	वाणिज्य (कामर्स)	राजकीय महाविद्यालय, भिवानी राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद
3.	फ्रेन्च	राजकीय महाविद्यालय, रोहतक राजकीय महाविद्यालय, गुड़गांव

छात्र संख्या

4.3 रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में 0.93 लाख छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संस्था अनुसार छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

	संस्था की प्रकार	छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियां	कुल
1.	राजकीय महाविद्यालय	13415	3850	17265
2.	अराजकीय महा विद्यालय	52321	14083	66404
3.	विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	4019	361	4380
4.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	2370	475	2845
5.	जे० बी० टी० संस्थायें	592	817	1409

राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजन

4.4 रिपोर्टाधीन समय में राजकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया :—

1.	ज्येष्ठ व्याख्याता	3
2.	व्याख्याता	23
3.	प्रोफेसर	2
4.	तबला वादक	2
5.	फिल्म मैकेनिक	1
6.	डिसपैन्सर	1
7.	टाईप इन्सट्रैक्टर	1
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
9.	बेलदार	4

उच्च शिक्षा की संस्थाओं को अनुदान

4.5 रिपोर्टाधीन वर्ष में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को निम्नलिखित राशि सहायता/विकास अनुदान के रूप में दी गई :—

	(रुपये लाखों में)
पंजाब विश्वविद्यालय	14.93 रुपये
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	114.64 रुपये
अराजकीय महाविद्यालय	21.00 रुपये

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

4.6 हरियाणा राज्य में सामान्य शिक्षा के लिए यही एक विश्वविद्यालय है। 1-7-74 से राज्य के सभी 110 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिये गये हैं । पोस्ट-ग्रेज्युएट रिजनल केन्द्र, रोहतक जो कि पहले पंजाब विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में था अब उसे भी कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक प्रबन्ध के अधीन कर दिया गया है।

इस विश्वविद्यालय में भिन्न भिन्न अध्यापन विभागों में निम्नलिखित विषयों के अध्यापन की सुविधा है :--

संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृत, पुरातत्व विद्या, पुरातत्व विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन तथा धर्म शास्त्र, अंग्रेजी, पुस्तकालय विज्ञान, आधुनिक विदेशी भाषाएं, रसायन तथा भौतिक विज्ञान, गणित बोटनी, जूओलाजी, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, शिक्षा विधि तथा वाणिज्य इत्यादि ।

4.7 रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालयों में फ़ीसों की दर निम्नलिखित रही :

कोर्स	फीस की दर
प्रैप/प्री-इन्जीनियरिंग/ प्री-मैडीकल/टी० डी० सी० भाग-i	15/- रुपये मासिक
टी० डी० सी० भाग ii तथा iii	17/- रुपये मासिक
एम० ए०	22/- रुपये मासिक
बी० एड०	20/- रुपये मासिक

अध्याय पांचवां

शिक्षक प्रशिक्षण

5.1 प्रशिक्षण ही शिक्षक को समय की नवीन गतिविधियों तथा शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नये-नये अनुसंधानों से परिचित करवाता है। इस लिये शिक्षक के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ही शिक्षा का स्तर निर्भर है। व्यवसायिक दक्षता के लिये शिक्षक को दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :--

1. सेवा काल से पूर्व
2. सेवाकालीन (सेवा अवधि के दौरान)

सेवा काल से पूर्व का प्रशिक्षण व्यक्ति को अपने व्यवसायिक जीवन के लिये निर्मित करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण से अध्यापक को नवीनतम शैक्षिणिक रीति सिद्धान्त और शिक्षा प्रवत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है।

सेवाकाल के पूर्व का प्रशिक्षण

5.2 रिपोर्टाधीन अवधि में भिन्न भिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिये राज्य में निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की कक्षायें चालू रही :—

1. एम० एड० प्रशिक्षण
2. बी० एड० प्रशिक्षण
3. जे० बी० टी० प्रशिक्षण
4. एल० टी० सी० प्रशिक्षण
5. नरसरी प्रशिक्षण

एम० एड० कक्षायें

5.3 राज्य में एम० एड० शिक्षा की सुविधायें केवल राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय रिवाड़ी और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। इन दोनों संस्थाओं में वर्ष 1974–75 में 15 लड़के और 13 लड़कियों ने एम० एड० प्रशिक्षण में प्रवेश प्राप्त किया।

बी० एड० प्रशिक्षण की सुविधाएं

5.4 वर्ष 1974–75 में माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर कक्षाओं के लिये अध्यापक प्रशिक्षण की कक्षायें राज्य में 16 शिक्षा महाविद्यालयों में चालू रहीं। इन महाविद्यालयों में 1145 लड़के तथा 1267 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया।

जे० बी० टी० प्रशिक्षण की कक्षायें

5.5 जे० बी० टी० प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 529 लड़के तथा 817 लड़कियों ने निम्नलिखित 9 जे० बी० टी० प्रशिक्षण संस्थाओं में रिपोर्टाधीन अवधि में प्रवेश प्राप्त किया :–

1.	राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, नारायणगढ़	(अम्बाला)
2.	राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, छछरौली	(अम्बाला)
3.	राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, कुरूक्षेत्र	(कुरुक्षेत्र)
4.	राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, खुंगा कोठी	(जींद)
5.	राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, राखीशाहपुर	(हिसार)
6.	राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, पाबड़ा	(हिसार)
7.	राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, बहादुरगढ़	(रोहतक)
8.	राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, दुजाना	(रोहतक)
9.	राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, फ़रीदाबाद	(गुड़गांव)

एल० टी० सी० प्रशिक्षण की कक्षायें

5.6 वर्ष 1974-75 में एल० टी० सी० प्रशिक्षण (हिन्दी/संस्कृत/पंजाबी) की कक्षायें निम्नलिखित संस्थाओं में चालू की गई। कक्षाओं में कुल 880 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया :—

1. छज्जुराम शिक्षा महाविद्यालय, हिसार (हिन्दी/संस्कृत/पंजाबी)
2. के.एम शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी (हिन्दी/संस्कृत)
3. आर्य हिन्दी महाविद्यालय, चरखी दादरी (हिन्दी/संस्कृत)
4. छोटू राम शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक (हिन्दी/संस्कृत/पंजाबी)
5. बी० पी० एस० कन्या शिक्षा महाविद्यालय, खानपुर कला (हिन्दी)
6. गौड़ब्राह्मण महाविद्यालय, रोहतक (हिन्दी/संस्कृत)
7. सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर (हिन्दी)
8. राव विरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी (हिन्दी/पंजाबी)
9. हिन्दू कालेज आफ ऐजूकेशन, सोनीपत (हिन्दी)
10. सतीश पब्लिक शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी (पंजाबी)

नर्सरी प्रशिक्षण की कक्षायें

5.7 रिपोर्टाधीन अवधि में नर्सरी प्रशिक्षण की कक्षायें केवल निम्नलिखित अराजकीय संस्थाओं में ही चल रही हैं :—

1. सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर
2. बी० पी० एस० कन्या शिक्षा महाविद्यालय, खानपुर कलां
3. भारतीय विद्या मन्दिर, अम्बाला छावनी

सेवाकालीन प्रशिक्षण

5.8 कोई भी शिक्षा पद्धति अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकती। अच्छी शिक्षा अच्छे अध्यापकों पर ही निर्भर है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये अध्यापकों की व्यवासायिक योग्यता को बढ़ाने हेतू हरियाणा राज्य में सरकार ने प्राथमिक तथा सैकन्डरी स्तर पर के अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण देने का विशेष कार्यक्रम वर्ष 1973 से शुरू किया है।

वर्ष 1974 के ग्रीष्म अवकाश में प्राथमिक स्तर परशिक्षा देने वाले जे०बी०टी० अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण 100 अलग अलग केन्द्रों में दिया गया। इन केन्द्रों में 6000 अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार रिपोर्टाधीन अवधि में स्नातक अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध राज्य में 20 महाविद्यालयों में केन्द्र स्थापित करके किया गया।

इस कार्यक्रम के अतिरिक्त इस वर्ष से एक और नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिस के अधीन राज्य के सभी राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/जे०बी०टी० स्कूलों को केन्द्रीय विद्यालय मान कर उसके निकटवर्ती प्राथमिक तथा मिडल स्कूलों के प्राथमिक अध्यापकों को शैक्षिक मार्गदर्शन देने के लिए संलग्न कर दिया है। लगभग 30 से 35 प्राथमिक अध्यापक मास में एक दिन अपने केन्द्रीय विद्यालय में एकत्रित होते हैं जहां वह अपनी कक्षाध्यापन की समस्याओं पर विचार विनिमय करते हैं।

अध्याय छठा

समाज शिक्षा

6.1 पिछले 10 वर्षों (1961-71) में हरियाणा राज्य की साक्षरता में लगभग 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता 26.6 प्रतिशत है जब कि वर्ष 1961 में केवल 19.9 प्रतिशत थी। आज भी राज्य की 73.4 प्रतिशत जनता अशिक्षित है। इन को शिक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य में कई प्रकार की समाज शिक्षा परियोजनायें आरम्भ कर रखी हैं ताकि आधुनिक युग के ज्ञान को इन लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस समय राज्य में प्रौढ़ शिक्षा के लिए तीन प्रकार की परियोजनायें चल रही हैं।

1. समाज शिक्षा केन्द्र
2. किसान साक्षरता योजना
3. ग्राम शिक्षा मुहिम

समाज शिक्षा केन्द्र

6.2 यह शिक्षा केन्द्र अभी ज़िला जींद और महेन्द्रगढ़ में ही चल रहे हैं। इन ज़िलों में चुने हुये गाँवो मे प्रौढ़ शिक्षा का कार्य किया जाता है। इन गाँवों में चलते फिरते शिक्षा सक्वेड लोगों को शिक्षित करते हैं। एक सक्वेड में लगभग 29 अध्यापक होते हैं। इन केन्द्रों के निरीक्षण का कार्य दो अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो कि ज़िला शिक्षा अधिकारी को अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। इन केन्द्रों में साधारणत: निम्नलिखित

कार्यक्रम चलाये जाते हैं :–

1. शिक्षा तथा कार्य प्रशिक्षण
2. खेलकूद तथा अन्य विनोद क्रियायें इत्यादि
3. समाज सेवा
4. चर्चा तथा प्रवचन

महिलाओं के केन्द्रों में पढ़ने लिखने के अतिरिक्त घरेलु लाभदायक शिल्पों का ज्ञान भी दिया जाता है। गृह कार्य में निपुणता के लिए पौष्टिक ख़ुराक को तैयार करने की पूरी पूरी जानकारी दी जाती है ।

किसान साक्षरता योजना

6.3 यह परियोजना वर्ष 1969-70 में आरम्भ की गई थी। हरियाणा राज्य के पांच ज़िलों, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल तथा अम्बाला में यह परियोजना चल रही है। इस के अन्तर्गत हर ज़िले में साठ साठ केन्द्र खोले जाते हैं और हर केन्द्र में 30 प्रौढ़ो को शिक्षित करने की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रत्येक ज़िले में 1800 प्रौढ़ों को साक्षर करने का प्रबन्ध हैं ।

इस परियोजना के अनुसार ग्रामीण लोगों को पढ़ने लिखने के अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी विशेष जानकारी भी दी जाती है। कृषि करने और उपज बढ़ाने के नए नए ढ़ंग भी बताये जाते हैं ।

परियोजना के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक एक परियोजना अधिकारी ज़िला अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, और गुड़गांव में 400-800 रुपए के वेतनमान में लगाये हैं। भारत सरकार द्वारा भी 500 रुपए प्रति परियोजना अधिकारी के अनुसार प्रतिपूर्ति भी की जाती है । अगस्त, 1974 से इन पदों पर परियोजना

अधिकारियों ने कार्य आरम्भ कर दिया है। यह सभी अधिकारी किसान साक्षरता योजना के कार्य को भलिभांति चलाने के लिए सम्बन्धित ज़िला शिक्षा अधिकारियों को उत्तरदायी होंगे।

ग्राम शिक्षा मुहिम (प्रौढ़ शिक्षा)

6.4 31 दिसम्बर, 1974 से ग्राम शिक्षा मुहिम का यह कार्यक्रम अम्बाला, करनाल और रोहतक में इस विचार से बन्द कर दिया गया है कि इन ज़िलों में पहले से ही किसान साक्षरता की सामान्त परियोजना चल रही थी। इसलिए पहली जनवरी से यह योजना तीन नये ज़िलों भिवानी, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत में शुरू कर दी गई है।

प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, सेवा निवृत अध्यापकों तथा अन्य योग्य व्यक्तियों को लगाया जाता है और इस अतिरिक्त कार्य के लिये 40/- रुपये मासिक भत्ता मानदेय के रूप में दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में और विस्तार करने तथा इन सभी स्कीमों के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु एक प्रौढ़ शिक्षा सैल की स्थापना की गई है जिसके लिए सरकार ने तीन अधिकारियों के पद एक प्रथम श्रेणी में तथा दो अधिकारी दिव्तीय श्रेणी के स्वीकृत किए हैं। यह अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा स्कीम के अन्तर्गत चलने वाली सभी परियोजनाओं को देखेंगे और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षेत्र के कर्मचारियों को मार्ग दर्शन भी देंगे।

अध्याय सातवाँ

महिला शिक्षा

7.1 देश के निर्माण का श्रेय स्त्री पुरुष दोनों पर बराबर है। स्त्री इस उत्तरदायित्व को तभी पूरा कर सकती है यदि वह सुशिक्षित होगी। इसलिए स्त्री शिक्षा का महत्व पुरुषों से कम नहीं है।

पिछले 8 वर्षों से स्त्री शिक्षा में विशेष प्रगति हुई है और इस प्रगति का क्रम रिपोर्टाधीन अवधि में भी बना रहा। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु रिपोर्टाधीन वर्ष में कई प्रकार की सुविधायें पढ़ने वाली लड़कियों को उपलब्ध की गई ताकि अधिक संख्या में ग्रामीण तथा पिछड़े हुये शहरी क्षेत्रों से लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा कम ट्यूशन फीस ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छटी से ग्यारहवीं कक्षा तक कन्याओं से फीस कम ली जाती है।

(ख) नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली उन हरिजन लड़कियों को क्रमशः 20, 25 और 30 रुपये की दर से योग्यता छात्रवृति भी दी जाती है जो आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करती है। प्रत्येक कक्षा के लिए 50–50 छात्रवृतियां उपलब्ध हैं।

(ग) विधवाओं, पतियों से अलग रहने वाली, विवाह विच्छेद वाली स्त्रियों के लिए जे0बी०टी०/एल०टी०सी०/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान

आरक्षित भी रखे जाते हैं . ऐसी स्त्रियों की अधिकतम आयु में साधारणतः ढील दे दी जाती है। यह स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जब कि पुरषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिल्ट्री पुरुषों की पत्नियों जो आयोग्य हो गये हों या लड़ते लड़तें मारे गये हों के प्रवेश के लिए ऊपरी सीमा 41 वर्ष है।

(घ) जिन स्थानो/गावों में कन्याओं के लिए अलग स्कूल नही हैं वहां पर कन्याओं को लड़कों के स्कूलों में प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है ।

7.2 सरकार के इन प्रयत्न के फलस्वरुप पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में हर स्तर पर सराहनीय वृद्धि हुई है । रिपोर्टाधीन अवधि में लड़कियों की संख्या भिन्न भिन्न स्तर पर निम्नलिखित रही :–

शिक्षा स्तर	लड़कियों की संख्या (लाखों में) अगस्त, 1974
प्राथमिक स्तर	3.32
माध्यमिक स्तर	0.87
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	0.39
कालेज स्तर	0.21

छात्रवृतियां

7.3 राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की अतिरिक्त छात्रवृतियां केवल लड़कियों को इस विचार से भी दी जाती हैं कि वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनके माता पिता तथा संरक्षक अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में बाधक न बन सकें । अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों को भी प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालय स्तर पर उन लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है जिनके माता पिता की आय निश्चित सीमा से कम हो।

कन्याओं को वर्ष 1974-75 में दी गई छात्रवृतियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

छात्रवृति का नाम	छात्रवृतियों की संख्या केवल लड़कियों के लिये	मासिक दर
स्कूल स्तर :-		
मिडल स्कूल छात्रवृति	378	10/-रु०
उच्च स्कूल योग्यता छात्रवृति	411	15/-रु०
महाविद्यालय स्तर:–		
राज्य योग्यता छात्रवृति, उच्च/ उच्चतर माध्यमिक (प्रथम भाग)	47	22/-रु०
(क) प्रैप	83	45/-रु०
(ख) उच्चतर माध्यमिक द्वितीय वर्ष)	15	45/-रु०
स्कूल स्तर पर :–		
4. हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृति योजना :-		
	50	20/-रु०
	50	25/-रु०
	5.0	30/-रु०

7.4 महिला संस्थाओं की संख्या

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
1. माध्यमिक विद्यालय	77	7	84
2. उच्च विद्यालय	98	74	172
3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	20	2	22
4. महाविद्यालय	1	23	24

पिछले कुछ वर्षों से महिला विद्यालयों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इस का कारण यह है कि उन स्थानों पर जहां कन्याओं के लिए अलग विद्यालय नहीं है कन्याऐं लड़कों के स्कूलो में प्रवेश प्राप्त कर सकती है । इन सुविधाओं के अतिरिक्त कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक विद्यालय भी निम्नलिखित शर्तों पर खोले जाते हैं :-

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो
2. यदि स्थानीय जनता स्कूल भवन के लिये प्रबन्ध करें
3. यदि 30 या 40 कन्याओं की संख्या स्कूल में प्रवेश होने के लिए उपलब्ध हो
4. यदि एक मील के दायरे में कन्याओं के लिए कोई और स्कुल न हो
5. ज़िला शिक्षा अधिकारी कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक ब्रांच विद्यालय खोल सकते हैं यदि उस गाँव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो और अतिरिक्त स्टाफ न देना पड़े ।

महिला छात्र संख्या

7.5 यद्यपि सरकार की ओर से गत 9 वर्षों में शिक्षा के प्रसार के लिए काफी प्रयत्न किये गये हैं परन्तु फिर भी 6-11 वर्ष के सभी बच्चे विशेष कर लड़कियां स्कूलों में प्रवेश नहीं लेती है । इस का मुख्य कारण यह हैं कि अब भी बहुत से माता-पिता रूढ़ीवादी होने के कारण लड़कियों को स्कूलों में भेजना पसंद नहीं करते । इस समस्या का समाधान करने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने अनौपचारिक शिक्षा की एक नवीन प्रकार की योजना वर्ष 1974-75 में हरियाणा राज्य के 4 उप-मण्डलों (कैथल, महेन्द्रगढ़, नारायणगढ़, तथा नरवाना) में प्रयोगात्मक रुप में आरम्भ की है । यह योजना 11-13 वर्ष की आयु वर्ग की कन्याओं तथा हरिजन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश या तो स्कूल छोड़ गये या अब स्कूल में किन्हीं कारणों से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हों । इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को पांचवीं कक्षा तक की पढाई उन को सुविधा के अनुसार करवाई जाती है ।

अध्याय आठवां

शिक्षा सुधार कार्यक्रम

8.1 शिक्षा सुविधाओं के विकास के साथ साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिये विभाग द्वारा विशेष पग उठाये गये हैं ताकि विकास के साथ शिक्षा के स्तर में कोई न्यूनता न आने पाये।

शिक्षण सुधार कार्यक्कम में राज्य शिक्षा संस्थान का भी विशेष महत्व हैं। अध्यापकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों तथा रीतियों अनुसार शिक्षा देने के लिये मार्ग-दर्शन भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का हल ढूंढने तथा समाधान के लिये विशेष अनुसंधान भी किये जाते हैं।

राज्य शिक्षा संस्थान

8.2 राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधारों तथा शिक्षा में अनुसंधान करने हेतु की गई थी। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में अध्यापकों की सेवा कालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्ष 1974-75 में इस केन्द्र में कई प्रकार की संगोष्ठियां तथा सैमीनार आयोजित किये गये। प्रशिक्षण के कार्य को और विकसित तथा विस्तृत करने के लिये 100 प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये 550 कुंजी व्यक्तियों (Key Personnels) को प्रशिक्षण दिया गया।

इस संस्थान की देख रेख में 6000 जे०बी०टी० तथा 2000 बी०ऐ० बी०एड० अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया गया।

पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम

8.3 पहली से आठवीं श्रेणी तक जो सामाजिक शिक्षा, साधारण विज्ञान,

गणित, अंग्रेजी तथा हिन्दी में विषयों के जो पाठ्यक्रम संशोधनाधीन थे उन में से छटी कक्षा का सामाजिक शिक्षा, साधारण विज्ञान, और पांचवीं कक्षा के हिन्दी के पाठ्यक्रय तथा पुस्तकों में संशोधन करके उन्हें लागू कर दिया है।

एन०सी०ई०आर०टी० की भी निम्नलिखित पुस्तकों का संशोधन कर के उन्हें लागू किया गया :–

1. पहली से पांचवी कक्षा तक हिन्दी की पाठ्य पुस्तकें ।
2. तीसरी से पांचवीं कक्षा तक साधारण विज्ञान ।
3. तीसरी से पाँचवीं कक्षा तक समाजिक शिक्षा ।

इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकें लिखने का काम पूरा किया गया है :–

1. छटी और सातवीं कक्षाओं की अंग्रेजी की पुस्तक ।
2. छटी कक्षा के लिये भूगोल, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र ।

पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता हैं कि भावात्मक एकता, धर्म निरपेक्षता और मानवीय आचरण सम्बन्धीं विचारों को बढ़ावा मिलने वाले विषय वस्तु शामिल किये जाये । हरियाणा की सांस्कृतिक तथा स्थानीय इतिहास, वीरों और महापुरुषों के बारे में विशेष जानकारी भी दी जाती है ।

राज्य विज्ञान संस्थान

8.4 राज्य विज्ञान संस्थान की स्थापना अध्यापकों को वैज्ञानिक क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों से अवगत कराने तथा विज्ञान शिक्षण की ओर अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई थी । रिपोर्टाधीन अवधि में इस संस्थान में कई प्रकार के सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा प्रत्यासमरण कोर्सों का भी आयोजन किया गया ।

सेवा कालीन प्रशिक्षण के अतिरिक्त विद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति जिज्ञासा तथा रूची उत्पन्न करने के लिये कई प्रकार की राज्य स्तर पर वैज्ञानिक संगोष्ठियां एंव वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

विज्ञान शिक्षा की ओर अधिक प्रभावी बनाने के लिये अध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा ओरियनटेशन कोर्सों को आयोजित किया गया।

युनिसिफ के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम

8.5 इस परियोजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक स्तर तक विज्ञान शिक्षा में सुधार लाना है। यूनिसिफ प्रोग्राम के अन्तर्गत पायलेट स्कूल में विज्ञान किटें तथा पुस्तके बिना मुल्य के दी जाती हैं। अब तक यह स्कीम 350 प्राथमिक तथा 330 माध्यमिक विद्यालयों में शुरु की जा चुकी है। वर्ष 1974-75 में इस स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक विज्ञान किटें तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये 6 लाख रुपये की राशी की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई थी।

कार्य अनुभव

8.6 यह स्कीम बेसिक शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। यह स्कीम राज्य में 1969-70 से चलाई गई थी। वर्ष 1974-75 में राज्य में 43 प्राथमिक 43 माध्यमिक तथा 74 उच्च/उच्चतर माध्यमिक और स्कूलों में अनुभव कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस के अतिरिक्त पिछले वर्ष के 240 स्कूलों में भी यह कार्यक्रम चलता रहा।

शाला संगम

8.7 यह स्कीम वर्ष 1973-74 तक राज्य के 36 स्कूलों में चल रही थी। वर्ष 1974-75 में इस का विस्तार कर के 864 अतिरिक्त उच्चतर स्कूलों में इस [स्कीम को आरम्भ किया गया। इस के अधीन राज्य के सभी राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/जे०बी०टी०स्कूलों को केन्द्रीय विद्यालय

बना कर उसके निकटवर्ती प्राथमिक तथा मिडल स्कूलों के प्राथमिक अध्यापकों के शैक्षणिक मार्ग-दर्शन के लिये संलग्न कर दिया है। लगभग 30 से 35 प्राथमिक अध्यापक मास में एक दिन अपने अपने केन्द्रीय विद्यालय में एकत्रित होते हैं। केन्द्रीय विद्यालय के मुखिया के नेतृत्व में 4 घण्टे ठहर कर अपनी अपनी कक्षा अध्यापन की समस्याओं पर विचार विनिमय करते हैं। 'प्राथमिक अध्यापक' मासिक पत्रिका में दी गई विषय वस्तु पर भी चर्चा की जाती है। वर्ष 1974-75 में इस स्कीम के लिये राज्य सरकार ने 5 लाख रुपये की व्यवस्था की थी।

शिक्षा संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि

8.8 वर्ष 1974-75 में किसी विद्यालय/महाविद्यालय के नये भवन के निर्माण के लिये राशि स्वीकृत नहीं की गई थी। परन्तु पिछले चल रहे निर्माण कार्यों के लिय सरकार द्वारा निम्नलिखित राशि खर्च की गई थी :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य	वर्ष 1974-75 में खर्च की जाने वाली राशि (लाखों में)
1.	श्री बी०एन०सी०राजकीय महाविद्यालय, भिवानी	18.96
2.	-सम- छात्रावास	3.14
3.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नारनौल	5.10
4.	संयुक्त छात्रावास छात्राओं तथा अध्यापिकाओं के लिये	0.52
5.	केन्द्रीय पुस्तकालय, अम्बाला	0.23
6.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तौशाम	0.62
7.	राजकीय महाविद्यालय	2.00

बच्चों के बैठने के लिये प्राईमरी स्कूलों तथा अनुभागों में 8.80 लाख रुपये की लागत से टाट तथा साज सामान इत्यादि दिये गये। 412 मिडल स्कूलों

तथा अनुभागों में 1.03 लाख रुपये का तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1.75 लाख रुपये का फर्नीचर दिया गया।

निदेशालय द्वारा राज्य के भिन्न भिन्न विद्यालयों को छात्र निधियों में से भौतिक सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिये 16,26,583/-रुपये की राशि की विशेष स्वीकृतियां प्रदान की गई। इस स्वीकृत राशि से विद्यालयों में फर्नीचर, बिजली व पानी, शौचालय, पंखे आदि खरीदे गये जिन का ज़िला वार विवरण इस प्रकार है :-

	रुपये
अम्बाला	90,507
कुरुक्षेत्र	27,440
करनाल	3,52,305
सोनीपत	1,93,112
जींद	10,166
गुड़गांव	57,339
नारनौल	—
भिवानी	2,57,760
हिसार	8,500
रोहतक	6,29,454
जोड़ :	16,26,583 रुपये

अध्याय नौवां

विविध

9.1 विद्यार्थियो के सर्वांगीन विकास के लिए आवश्यक हैं कि शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के साथ साथ खेल कूद क्रियाओं तथा शारीरिक शिक्षा को उचित महत्व दिया जाये ।

शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों को खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने का पूरा पूरा अवसर भी प्रदान किया जाता है ? जिला तथा राज्य स्तर पर होने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए लड़के तथा लड़कियों की अलग अलग खेलों की टीमों को शिक्षा विभाग तथा खेल कूद विभाग के परस्पर सहयोग से तैयार किया जाता है । खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं के संयुक्त फण्ड से वहन किया जाता है। इस के अतिरिक्त राजस्व खाते से भी अनुदान दिया जाता है । वर्ष 1974-75 में राजस्व खाते से 2000/-रुपये अन्तर जिला प्रतियोगताओं के लिए तथा 5000/-रुपये आटम मीट के लिये दिये गये ।

इस वर्ष राज्य के स्कूलों के बालक तथा बालिकाओं की हाकी टीम ने सिंगापुर की स्कूल बालक तथा बालिकाओं की टीमज़ को अम्बाला तथा करनाल में आयोजित प्रतियोगिताओं में पराजित किया ।

नेशनल फिटनेस कौर योजना

9.2 राज्य के माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर विद्यालयों में नैशनल फिटनैस कौर की योजना के अधीन छात्रों को शारीरिक शिक्षा दी जाती है । यह योजना भारत सरकार के विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और चरित्र विकास के लिए शुरु की गई थी । इस स्कीम का प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य

सरकार के पास है परन्तु इस पर होने वाला खर्चा भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दिया जाता है। इस समय लगभग 340 एन० डी० एस० आईज राज्य के भिन्न भिन्न राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

एन० सी० सी०

9.3 यह योजना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमानुसार चलाई जा रही है। इस के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल, तथा वायु सेनाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। महाविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए सिनियर डिविजन तथा स्कूल छात्रों के लिए जूनियर डिविजन स्थापित किये हुये हैं। कन्या छात्रायें भी थल सेना की ट्रेनिंग प्राप्त करती हैं।

वर्ष 1974-75 में हरियाणा राज्य में सिनियर और जूनियर डिविजन की बटालियन तथा उनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार से है :–

सिनियर डिविजन	बटालियन	कैडिट
इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	16	9500
इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	2	1705
वायु सुकैडरन	2	400
जल बटालिटन (नेवल)	1	200
ग्रुप हैडक्वार्टर	2	200
योग	23	11805

जूनियर डिविजन

इनफैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	163	14300
इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	12	900
वायु विंग	15	1270
जल विंग	6	450
	196	16920

रिपोर्टाधीन वर्ष में इस योजना पर कुल 37.90 लाख रुपये की बजट व्यवस्था थी। इस वर्ष 25 कैम्प लगाये गये जिन में 186 अधिकारियों तथा 5015 कैडिटों ने भाग लिया।

एन० एस० एस० योजना

9.4 महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तित्व और उनके बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार ने एन० एस० एस० योजना लागू की है। वर्ष 1974-75 में 10 और महाविद्यालयों में यह स्कीम लागु की गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष में राज्य में कुल 70 महाविद्यालयों में यह स्कीम चलाई गई। इस वर्ष इस स्कीम के अन्तर्गत 7009 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

रिपोर्टाधीन वर्ष में एन०एस०एस० योजना के अन्तर्गत बिमारी तथा गंदगी के विरूद्ध नवयुवक अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में 89 शिवर लगाये गये जिन में 3142 छात्रों ने भाग लिया। इन शिवरों में नई प्रकार के उपयोगी कार्यक्रम जैसे सफाई रखना, छूत वाली बिमारियों के टीके लगाना, पीने के पानी का प्रवन्ध तथा गोबर गैस प्लांट लगाने इत्यादि पर विशेष कार्य हुये।

रैड क्रास

9.5 रैड क्रास संस्था समाज में रोगियों, घायलों, अंगहीनों तथा निर्धनों

की सहायता करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस संस्था के लक्ष्य तथा उद्देश्य को छात्रों में प्रिय बनाने के लिए जुनियर रैड क्रास संस्था जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षकता में जिला स्तर पर स्थापित की हुई है।

रिपोर्टाधीन वर्ष में राज्य के 33630 पुरूषों तथा महिलाओं को फर्सट ऐड प्रशिक्षण और 8907 महिलाओं तथा पुरूषों को होम नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया गया। विभागीय सेवा में कार्यकर्ता अधिकारी/कर्मचारियों ने इस संस्था के लिये सराहनीय कार्य करने के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किये :-

1.	रिस्ट वाच	2
2.	सोविनयर	1
3.	सिलवर मैडल	1
4.	फर्सट कलास सनद	2
5.	उप कुलपति का धन्यवादी पत्र	3

रिपोर्टाधीन वर्ष में इस संस्था ने एक एलबम प्रतियोगिता भी आयोजित की थी।

भारत सेवक समाज तथा युवक कल्याण गति विधियां

9.6 भारत वर्ष में एक संस्था भारत सेवक समाज के नाम से स्थापित हैं, जिस की शाखायें राष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में स्थित है। यह संस्था एक नान-सैक्सनल, नान-कम्यूनल तथा नान-पोलीटीकल है। इस संस्था द्वारा जिला समुदाय विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों के परामर्श से स्थान चुनकर शिविर आयोजित किये गयें हैं। बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग शिविर आयोजित किये जाते हैं। जिन में स्कूल के छात्र भी सम्मिलित होते हैं।

भारत स्काऊट तथा गाईड आन्दोलन

9.7 राज्य के विद्यालयों में यह आन्दोलन भारत स्काऊट तथा गाईड एशोशियेशन, हरियाणा के संरक्षण में चल रहा है। शिक्षा विभाग इस संस्था को 56,000/-रुपये प्रति वर्ष अनुदान के रुप में देता है। वर्ष 1974-75 में इस संस्था ने राज्य में 150 और नये यूनिट स्काऊट तथा गाईड कब्ज/बुलबुल के बनाये हैं जिन के लिए विभाग ने संस्था को वार्षिक अनुदान के अतिरिक्त 50,000/-रुपये की धन राशि अनुदान के रुप में दी है।

रिपोर्टाधीन वर्ष में भारत स्काऊटस तथा गाईड नेशनल मुख्यालय, नई देहली ने सातवीं अखिल भारतीय जैम्बूरी, फरीदाबाद में आयोजित की। इस जम्बूरी में इस राज्य के विद्यालयों से भी छात्रों ने भाग लिया था और रचनात्मक क्रियाओं का प्रदर्शन किया था। जैम्बूरी के लिए राज्य सरकार ने विभाग के खाते से दो लाख रुपये का नकद अनुदान भी इस संस्था को दिया।

इस वर्ष में निम्नलिखित प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन किया गया :-

	शिवरों को संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1. गर्ल्ज गाईड	10	700
2. रैलीज	2	2100
3. स्काऊट कैम्पस	11	2237

केयर स्कूल फीडिंग कार्यक्रम

9.8 वर्ष 1974-75 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का लाभ केवल सरकारी प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रायमिक विभागों में पढ़ने वाले लगभग तीन लाख बालक ही ले रहे थे। इस वर्ष लगभग 76 लाख पौंड खाद्य सामग्री केयर द्वारा हरियाणा राज्य को दी गई जिस का मुल्य एक करोड़ रुपये के लगभग बनता है। इस

सामग्री की बन्दरगाह से स्कूलों तक पहुंचाने में 17.32 लाख रुपये राज्य सरकार ने व्यय किये ।

पुस्तकालयों का विकास

9.9 इस समय राज्य में केवल 9 पुस्तकालय हैं । इन में से अम्बाला छावनी में स्थित पुस्तकालय को राजकीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया है । यह पुस्तकालय निम्नलिखित ज़िला मुख्यालयों पर स्थित है :–

1. अम्बाला
2. गुड़गांव
3. रोहतक
4. नारनौल
5. हिसार
6. जींद

रिपोर्टाधीन वर्ष में इन पुस्तकालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन पर 2.75 लाख रुपये व्यय किये गये ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत ज़िला पुस्तकालयों को अच्छी और लाभदायक पुस्तकें दिलाने के लिए राजाराम मोहन राय पुस्तकालय फोंडेशन को 60,000/–रु0 अनुदान के रूप में दिये गये ।

अनुसूचित जातियां/पिछड़ें वर्ग के छात्रों के शिक्षा के विकास के लिए सुविधायें

9.10 अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सभी प्रकार की शैक्षिणिक, व्यवसायिक तकनिकी शिक्षा इत्यादि के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना किसी भेदभाव के राज्य की सभी

मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें राज्य की ओर से निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं।

1. पांचवीं से एम०ए०एम०एससी० कक्षाओं तक निशुल्क शिक्षा
2. नौवीं कक्षा से छात्रवृतियों की सुविधा
3. परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति।

राज्य हरिजन कल्याण योजना

9.11 स्कूल स्तर पर इस वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध की गई है। नौवीं, दसवीं और ग्यारवी कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृति 8 रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है। निशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त परीक्षा प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधायें दी जाती हैं।

कालेज स्तर पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को 15/–रु0 20/–रु0 तथा 25/–रु0 मासिक दर से भिन्न भिन्न कक्षाओ/कोर्सों में छात्रवृति स्वीकृत की जाती है और निशुल्क शिक्षा एंव परीक्षा शुल्क की सुविधायें भी दी जाती हैं। अराजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भी यह सभी सुविधायें दी जाती हैं। वर्ष 1974-75 में इस योजना पर 35.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

स्कूल स्तर पर छात्रवृतियों की स्वीकृति की क्षमता उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों को दी हुई हैं और राजकीय महाविद्यालय स्तर पर यह क्षमता प्राधानाचार्यों को है जब कि अराजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृतियों की क्षमता सहायक निदेशक (छात्रवृति शिक्षा निदेशालय) के पास है।

छात्रवृतियां तथा अन्य सभी प्रकार की वित्तीय सहायता विद्यार्थियों को उन के माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय के आधार पर दी जातीं है। वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 4,200/–रुपये निर्धारित है।

विमुक्त जाति छात्रवृति कल्याण योजना

9.12 विमुक्त जाति के बच्चों को स्कूल तथा कालेज स्तर पर छात्रवृतियां देने के लिए अलग से विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। वर्ष 1974-75 में इस योजना के लिए 33, 300/-रु० की व्यवस्था की गई थी।

भारत सरकार मैट्रिक उपरांत अनुसूचित जाति/न्यून आय वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृति योजना

9.13 मैट्रिक उपरांत स्तर पर अनुसूचित जाति तथा न्यून आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृतियां शिक्षा शुल्क तथा अन्य अनिवार्य रुप से ली जाने वाली शुल्क की राशि भी दी जाती है। अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर छात्रवृतियां/वित्तीय सहायता देने हेतु छात्रवृति प्रदान करने की क्षमता राज्य के मैट्रिक उपरांत संस्थाओं के प्राचार्य को दे दी गई हैं।

वर्ष 1974-75 में इस योजना के अन्तर्गत 42,65,000/-रुपये की व्यवस्था की गई थी।

हरियाणा राज्य में हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृति योजना

9.14 नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन कन्याओं के लिए 150 छात्रवृतियों की व्यवस्था है। 50 नई छात्रवृतियां हर वर्ष उन कन्याओं को दी जाती है जिन्होंने आठवीं कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हों। यह छात्रवृतियां नौवीं, दसवीं और ग्याहरवीं कक्षाओं में 20/– 25/–तथा 30/– रुपये क्रमशः मासिक दर से दी जाती है। नौवीं में दी गई छात्रवृतियां दसवीं, तथा ग्यारहवीं कक्षा में भी चालु रहती हैं। वर्ष 1974–75 में इस योजना पर 45,000/–रुपये की व्यवस्था की गई थी।

हरियाणा राज्य राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

9.15 5 सितम्बर, 1974 को 13 वां शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कोष के लिए 3,69,315/– रुपये की राशि इक्कट्ठी की गई तथा विषदाग्रहस्त अध्यापकों को तथा उनके आश्रितों को इस कोष से 71331/–रुपये सहायता के रुप में रिपोर्टाधीन वर्ष में दिये गये।

परिशिष्ट 'क'

31-3-75 को निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी :–

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
1.	निदेशक शिक्षा	प्रथम	श्री ए:सी: अग्रवाल, आई:ए:एस:
2.	–सम–	,,	रिक्त
3.	संयुक्त निदेशक	,,	श्री बी: एस :माथुर
4.	उप निदेशक	,,	श्रीमती राजदुलारी
5.	–सम–	,,	डा: एस: एस: गुप्ता
6.	–सम–	,,	श्री जगदीश राज
7.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री जे: पी: सुन्दर लाल
8.	–सम–	,,	श्री बी: एन: दीवान
9.	–सम–	,,	श्रीमति पुष्पा अबरोल
10.	–सम–	,,	श्री विजय सिंह यादव
11.	–सम–	,,	श्री बाबुराम गुप्ता
12.	–सम	,,	श्री चन्द्रभान
13.	–सम–	,,	श्री एस: एस: कौशल
14.	–सम–	,,	श्री बी: आर: बजाज
15.	प्रशासन अधिकारी	,,	श्री मदन लाल
16.	लेखा अधिकारी	,,	श्री डी: आर: तलवाड़
17.	–सम–	,,	श्री जे: पी: रत्न
18.	रजिस्ट्रार शिक्षा	,,	श्री गुरदियाल सिंह
19.	सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा	,,	श्री जे: के: टन्डन
20.	बजट अधिकारी	,,	श्री कृष्ण गोपाल

परिशिष्ट 'ख'

क्रमांक	जिले का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप मन्डल शिक्षा अधिकारियों का नाम
1	2	3	4
1.	अम्बाला	कुमारी शांता राजदान	कुमारी एस0 सिंह, अम्बाला (दिनांक 9-3-75 को निवृत हुई) श्रीमती पी0 कपूर, जगाधरी श्री धर्मवीर कपूर, नारायणगढ़
2.	भिवानी	श्री ओ0 पी0 गुप्ता	श्री ओ0 पी0 सेठ, लोहारू श्री जय लाल, चरखी दादरी श्री राजेन्द्र सिंह, भिवानी
3.	गुड़गांव	श्री इकबाल चन्द वधावन	श्रीमती पी0 चड्डा, पलवल श्री आर0 एल0 बहल, बल्लभगढ़ श्री आर0 डी0 शर्मा, नूंह श्री बल राम शर्मा, फिरोजपुर झिरका श्री गुगन सिंह, गुड़गांव
4.	हिसार	श्री के0 सी0 पल्ता	श्री ज्ञान स्वरुप, हांसी श्री अश्वनी कुमार, हिसार श्री दीन दयाल, सिरसा श्री दीप चन्द गर्ग, फतेहाबाद

1	2	3	4
5.	जींद	श्री आर0 एन0 सरीन	श्री हृदय राम, जींद श्री साधुराम जैन, नरवाना
6.	कुरुक्षेत्र	डा0 एस0एन0 बतरा	श्री बी0आर गोयल, थानेसर श्री पी0सी0 चौधरी, कैथल
7.	करनाल	श्री इन्द्रजीत सिंह	श्री पी0 एस0 मिश्रा, करनाल श्रीमती जानकी बाई, पानीपत
8.	महेन्द्रगढ़	कु0 बी0 बुद्धिराजा	श्री सोहन लाल, महेन्द्रगढ़ श्री प्रेम प्रकाश, नारनौल श्री अमीर सिंह, रिवाड़ी
9.	रोहतक	श्री सोहन लाल कश्यप	श्री वी0 एस0 पासी, रोहतक श्री सूरज लाल, झज्जर
10.	सोनीपत	श्री एम0 पी0 जैन	श्री जगबीर सिंह, सोनीपत श्री पी0 सी0 मेहता, गोहाना

परिशिष्ठ 'ग'

31-3-75 को वर्ग प्रथम और दिव्तीय के कुल पद कालेज और स्कूलों के अलग अलग ।

क्रम संख्या	पद नाम	वर्ग	कुल संख्या	संख्या पुरूष	संख्या महिला
1.	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय	प्रथम	14	11	3
2.	प्रौफेसर राजकीय महाविद्यालय	प्रथम	7	5	2
3.	निदेशक राज्य शिक्षा संस्थान	प्रथम	1	1	–
4.	निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान	प्रथम	1	1	–
5.	निदेशक राज्य शैक्षणिक एंव व्यवसायिक संदर्शन केन्द्र	प्रथम	1	1	–
6.	जिला शिक्षा अधिकारी	प्रथम	10	8	2
7.	प्राचार्य, रा० उ० मा० विद्यालय	दि्वतीय	77	55	22
8.	प्राचार्य, जे० बी० टी० स्कूल	दि्वतीय	3	2	1
9.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	दि्वतीय	3	1	2
10.	विज्ञान परामर्शी	दि्वतीय	1	1	–
11.	मुल्यांकन अधिकारी	दि्वतीय	2	2	–
12.	परामर्श दाता	दि्वतीय	1	1	–
13.	मनोवैज्ञानिक/वरिष्ठ प्राध्यापक	दि्वतीय	183	142	41

14.	उप मण्डल शिक्षा अधिकारी/ उप ज़िला शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	38	25	13
15.	प्रौजैक्ट अधिकारी	द्वितीय	5	5	–
16.	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	1	–	1
17.	अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	1	1	–
18.	तकनीकी प्राध्यापक	द्वितीय	7	7	–
19.	राज्य पुस्तकाध्यक्ष	द्वितीय	1	1	–

4748—D.P.I.—H.G.P., Chd.